18.09.024

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। अप्रार्थी संख्या 1,3,4 व 5 को जवाब हेतु अवसर देने बावजूद पेश नही किया अतः इनका जवाब बन्द किया जाता है। वकील प्रार्थीया ने अपने तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा मीरपुरा पटवार हल्का गुन्दाऊ तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 656, 658, कुल रकबा 7.22 हैक्टयर, व खसरा नम्बर 657 रकबा 0.06 हैक्टयर, भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की पुश्तैनी आई हुई है। जो राजस्व रेकर्ड में वक्त प्रथम सेटलमेंट से प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 त 4 पिता स्व फगलूराम की पुश्तैनी हक हकूक की सम्पति होने से उक्त आराजी में प्रार्थीया का जन्म से ही सहदायिक अंश व हिस्सा निहित है। जो प्रार्थीया को हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 6 के संशोधन के पश्चात बाई बर्थ राईटस के रूप में प्राप्त हुई है। जिसे अप्रार्थीगण इनके हिस्से का सहदायिक हिस्से खुर्द बुर्द या किसी भी प्रकार से हस्तारित करने का कोई अधिकारी नही है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया को वादग्रस्त आराजी में स्थित उनके सहदायिक हिस्सा की भूमि से वंचित करना चाहते है। इसलिए जरिए म्यूटेशन संख्या 541/22 दिनांक 01.08.2024 अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने प्रार्थीया की बिना सहमति से कूटरचित उतराधिकार प्रमाण पत्र जारी करवा कर अप्रार्थीगण ने वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड में मुन्तकल खातेदारी के आधार पर मौके पर सम्पूर्ण रकबे का बदलपूर्वक कब्जा करने व आगे किसी अन्य को हस्तान्तरित करने से अप्रार्थीगण को नही रोका तो प्रार्थीया को अपूर्णिय क्षति होगी। इस प्रकार तीनों मूलभूत कानूनी स्तम्भ प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्वांत हम प्रार्थीया के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण को ताफैसले तक मेरे कब्जे काश्त में न तो अप्रार्थीगण स्वंय दखलदांजी करे एवं न ही किसी अन्य से करावे इस आशय की अस्थाई निशेधाज्ञा बहक प्रार्थीया विरूद्व अप्रार्थीगण जारी फरमावे।

वकीन अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र से सहमत हूँ।

हमनें वकील उभय पक्ष की पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम दृश्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व को अन्तिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आ ाय की अस्थाई निशेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व जारी की जाती है कि मौजा मीरपुरा पटवार हल्का गुन्दाऊ तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 656, 658, कुल रकबा 7.22 हैक्टयर, व खसरा नम्बर 65[illegible] 0.06 हैक्टयर, भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड एवं [illegible] ए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल द[illegible] मूल वाद के साथ संलग्न हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.20 17:22:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner